Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding non-acceptance of coins by Government banks in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh -laid.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद भी मध्य-प्रदेश के क्षेत्रों में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में सरकारी बैंक की शाखाएं अपने लेन-देन में लोगों से एवं व्यापारियों से 10 रु. के सिक्के स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है सिक्कों को लेन-देन में सरकारी बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं करने की शिकायतें मिल रही हैं। Section 6 of the Indian Coinage Act 2011 के अनुसार सरकार द्वारा जारी किये गये सिक्कों को लेन-देन में मना नहीं किया जा सकता है। सरकारी बैंकों की शाखाओं द्वारा सिक्कों के लेन-देन में मनाही करने के बाद लोगों ने दो नम्बर का धन्धा शुरू कर दिया है। जिसमें व्यापारिक लेन-देन पर्ची के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे राजस्व में कमी हो रही है और इस पर जी.एस.टी. भी नहीं लगाया जा सकता है।

सरकार से अनुरोध है कि बैंकों की शाखाओं द्वारा सिक्के के लेन-देन में मनाही करने पर शाखा के उच्च अधिकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज किये जाएं, जिससे भारत सरकार द्वारा जारी सिक्के के लेन-देन को बैंकों की शाखाओं में सहर्ष स्वीकार किया जा सके।